न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1173/2025
अनवान : –

1. मेजर सिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. भागसिंह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16–17 के. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका वादी अकेला 196/495 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं. 1 अकेला 299/495 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1रू2650 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा, एवं प्रतिादी सं. 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की वाद भूमि का उनके पूर्वजो ने बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 पूर्वजो ने मुताबिक बाहमी बंटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादी बाहमी बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि मुताबिक बाही बंटवारा के अनुसार काश्त करते है तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार नाम दर्ज करवाना चाहते है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा चक 16–17 के.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है वादी का नाम कलमजन रहेगा। इसी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि अलग–अलग अपने–अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की वाद भूमि का उनके पूर्वजो ने बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 पूर्वजो ने मुताबिक बाहमी बंटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादी बाहमी बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि मुताबिक बाही बंटवारा के अनुसार काश्त करते है तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार नाम दर्ज करवाना चाहते है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा चक 16–17 के.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है वादी का नाम कलमजन रहेगा। इसी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि अलग–अलग अपने–अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16–17 के. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका वादी अकेला 196/495 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं. 1 अकेला 299/495 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1रू2650 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा, एवं प्रतिादी सं. 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की वाद भूमि का उनके पूर्वजो ने बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 पूर्वजो ने मुताबिक बाहमी बंटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादी बाहमी बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि मुताबिक बाही बंटवारा के अनुसार काश्त करते है तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार नाम दर्ज करवाना चाहते है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा चक 16–17 के.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है वादी का नाम कलमजन रहेगा। इसी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि अलग–अलग अपने–अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवापाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 16–17 के.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1173/2025

अनवान : –

1. मेजर सिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. भागसिंह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1173 सन 2025 निर्णय दिनांक 13/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 41/65 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 48/38 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 16–17 के.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 176/4 की कुल तादादी 1.9800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...13/05/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर